रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार की जायेगी, जिसके अनुसार **वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक** के पदों पर सीधी भर्ती आयोग के माध्यम से की जायेगी तथा अभ्यर्थियों से निम्नानुसार परीक्षाओं में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी,

(क) **लिखित परीक्षा**- अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगा। लिखित परीक्षा हेतु शासनादेश संख्या-279/47-का-3-2024, दिनांक-08-05-2024 द्वारा अनुमोदित परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम अभ्यर्थियों के सूचनार्थ संलग्न है। परीक्षा तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जायेगा।

शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश	वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक (सामान्य/ विशेष चयन)	**(ख) शारीरिक मानक परीक्षा-** उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार ऐसे अभ्यर्थियों से, जो लिखित परीक्षा में सफल घोषित किये गये हों, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक मानक परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक मानक परीक्षण का संचालन तीन सदस्यीय दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे- (1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक, (2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक। 1- **पुरूष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक-** **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, **सीने का फुलाव** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 84 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 82 सेंटीमीटर **टिप्पणी**- न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य है। 2- **महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक-** **ऊंचाई** (1) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर, (2) अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर है। **वजन** 45 से 58 किलोग्राम। 3- शारीरिक मानक परीक्षण स्थल पर परीक्षा आयोजन के पूर्व सूचना पट्ट पर प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक को अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा। 4- शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
		(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा- ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित किये गये हो, एक अर्हकारी प्रकृति की शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। शारीरिक दक्षता परीक्षण तीन सदस्यीय एक दल द्वारा किया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे- (1) सम्बन्धित वन प्रभाग के प्रभारी प्रभागीय निदेशक, (2) चिकित्सक/क्रीड़ा अधिकारी/राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिकारी, (3) उप प्रभागीय वनाधिकारी/सहायक वन संरक्षक। (क) पुरूष अभ्यर्थियों से 10 कि0ग्रा0 का भार लेकर 04 घण्टे में 25 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की और महिला अभ्यर्थियों से 04 घण्टे में 14 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने की अपेक्षा की जाती है। यह दौड़ अर्हकारी प्रकृति की है। (ख) प्रत्येक परीक्षण हेतु अर्हता के लिए न्यूनतम शारीरिक मानकों का प्रदर्शन प्रभागीय सूचना पट्ट पर प्रमुखता से किया जायेगा। (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल अर्हकारी प्रकृति का है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा। इस अर्हकारी परीक्षण का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा और जहां सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा। (घ) शारीरिक दक्षता परीक्षण दल के जो सदस्य जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जाते हैं, वे दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध करा दिया जायेगा। सभी अभ्यर्थियों का परिणाम सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा और जहां तक सम्भव हो वेबसाइट पर प्रतिदिन अपलोड किया जायेगा। (च) शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से, तहसील मुख्यालय और जिला चिकित्सालयों के पदाभिहित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकीय स्वस्थतता परीक्षण से गुजरने की अपेक्षा की जायेगी। (छ) शारीरिक दक्षता परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा। **(घ) चिकित्सीय परीक्षा**- ऐसे अभ्यर्थियों से, जो शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किये गये हों, चिकित्सीय परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। जिन अभ्यर्थियों द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली जायेगी, वे अधिसूचित केन्द्रों पर (जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सकीय परीक्षण करायेंगे। प्रत्येक चिकित्सा परिषद के लिए अभ्यर्थियों की संख्या (एक दिन में 50 से अनधिक) इस प्रकार अवधारित की जायेगी कि उसमें चिकित्सकीय परीक्षा की प्रक्रिया और गुणवत्ता प्रभावित नहीं होगी। यदि अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण अधिक समय की अपेक्षा हो तो आयोग अपने स्तर पर निर्णय लेकर अपेक्षित समय का विनिश्चय कर सकता है। परीक्षा आयोजित किये जाने से पूर्व चिकित्सा परीक्षण की अर्हता के लिए न्यूनतम अपेक्षाओं को, जिला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय और तहसील सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचना पट्ट पर जहां कहीं पर भी परीक्षण आयोजित किया जाय अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

विभाग का नाम	पदनाम	शारीरिक मानदण्ड, शारीरिक दक्षता परीक्षा व चिकित्सा परीक्षा
		चिकित्सा निर्देशिका के अनुसार चिकित्सकों द्वारा परीक्षण- (क) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल के अनुसार किया जायेगा। चिकित्सा परिषद मुख्यतया मानव शरीर की कमियों यथा नॉक-नी, बो-लेग्स, फ्लैट-फीट, वैरिकोज वेन्स, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइन्डनेस, रिन्नीज टेस्ट सहित श्रवण परीक्षण, वेबर्स टेस्ट और वरटिगो इत्यादि की जांच करेगा। परिषद, विशेषज्ञों की राय प्राप्त करने के पश्चात अन्य परीक्षण कर सकता है। (ख) दिन की समाप्ति पर प्रतिदिन परिणाम को सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा और माइक से उद्घोषित किया जाएगा और जहां तक सम्भव हो वेबसाइट पर भी अपलोड किया जाएगा। (ग) चिकित्सा परिषद् के सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते पाए जाते हैं, दाण्डिक कार्यवाही के भागी होंगे। (घ) चिकित्सकीय परीक्षा मात्र अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव न होगा।

9- लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम-

वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

प्रश्नगत परीक्षा में एक प्रश्नपत्र होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न होंगे तथा समयावधि दो घण्टा होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। लिखित परीक्षा हेतु प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंकन (निगेटिव मार्किंग) का प्रावधान है, जो उस प्रश्न हेतु निर्धारित अंक का 25 प्रतिशत अर्थात ¼ होगी।

परीक्षा योजना

परीक्षा के भाग, विषय, प्रश्नों की संख्या, कुल अंक और समयावधि नीचे दिये गये विवरण के अनुसार होगा-

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समयावधि
भाग-1	विषयगत ज्ञान	50	50	120 मिनट (दो घण्टा)
भाग-2	प्रारम्भिक स्तर की गणित एवं जीव विज्ञान	15	15	
भाग-3	कम्प्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान	15	15	
भाग-4	उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी	20	20	
योग		100	100	